



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-05072025-264390  
CG-DL-W-05072025-264390

साप्ताहिक/WEEKLY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 5—जुलाई 11, 2025 (आषाढ़ 14, 1947)  
No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 5—JULY 11, 2025 (ASADHA 14, 1947)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### विषय-सूची

पृष्ठ सं.

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकलनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	335
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	587
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकलनों और असंविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	7
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	3907
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राथिकृत पाठ.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य संविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को	*

पृष्ठ सं.

छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल हैं) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य संविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राथिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापारीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	2361
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	*
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	3255
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.....	*

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS

Page No.	Page No.		
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	335	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	587	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	7	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .....	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .....	3907	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .....	2361
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .....	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .....	1
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .....	3255
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India .....	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .....	*

\*Folios not received.

## भाग I—खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 2025

सं. 58.-प्रेज/2025—भारत की राष्ट्रपति वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक शृंखला के पुरस्कार प्रदान करने का अनुमोदन करती हैः—

## सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक

- श्री देवेन्द्र, एनएचआईडीसीएल, सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
- गनर अनीश कुमार गुप्ता (मरणोपरांत), रक्षा मंत्रालय
- श्री वकील हसन, एनएचआईडीसीएल, सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
- श्री मोहम्मद इरशाद, एनएचआईडीसीएल, सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
- श्री जतिन कश्यप, एनएचआईडीसीएल, सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
- श्री शोरभ कश्यप, एनएचआईडीसीएल, सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
- श्री अंकुर कुमार, एनएचआईडीसीएल, सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
- श्री मोनू कुमार, एनएचआईडीसीएल, सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
- डॉ. पेमा तेनजिंग लाचुंगपा (भूटिया) (मरणोपरांत), सिक्किम
- श्री दावा छिरिङ लेप्चा (मरणोपरांत), सिक्किम
- श्री मनेष. के. एम (मरणोपरांत), केरल
- श्री मुन्ना, एनएचआईडीसीएल, सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
- श्री नसीम, एनएचआईडीसीएल, सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
- श्री नसरदीन, एनएचआईडीसीएल, सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
- श्री फिरोज़ कुरेशी, एनएचआईडीसीएल, सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
- श्री मीरा राशिद, एनएचआईडीसीएल, सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
- श्री पिंटू कुमार सहनी (मरणोपरांत), बिहार

## उत्तम जीवन रक्षा पदक

- श्री रितीक चौहान, हिमाचल प्रदेश
- श्री शशीकांत रामकृष्ण गजबे, महाराष्ट्र
- श्री राजेश रंजन कुजूर (मरणोपरांत), रक्षा मंत्रालय
- श्री प्रदीप कुमार, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल
- श्री सचिन कुमार, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल
- श्री लेकी पासांग, रक्षा मंत्रालय

7. श्री राकेश सिंह राणा, रक्षा मंत्रालय
8. श्री मनमोहन सिंह, राष्ट्रीय आपदा मोर्चन बल
9. श्री शंकर सिंह, सीमा सङ्कर संगठन

## जीवन रक्षा पदक

1. श्री सी. अनवरसन, पुढुचेरी
2. श्री किशोर कुमार अरने, मध्य प्रदेश
3. डॉ. रंजना भंडारी, ओडिशा
4. श्री ज्ञानेश्वर मुकुंद भेदोडकर, महाराष्ट्र
5. सुश्री पल्लवी विस्वास, रेल मंत्रालय (आरपीफ)
6. मास्टर ऐलामबोक दिखार, मेघालय
7. कुमारी दिया फातिमा, केरल
8. सार्जेट राम कुमार जायसवाल, रक्षा मंत्रालय
9. श्री मुहम्मद हाशिर नाडकसेरी कडाँकोडा, केरल
10. श्री वंदाकिंदी श्रवण कुमार, तेलंगाना
11. श्री विकाश कुमार, विहार
12. श्री ललत्लनज्जोवा, मिज़ोरम
13. कुमारी मनीषाबेन अमरशीभाई मालकीया, गुजरात
14. श्री कालि किंकर मान्ना, पश्चिम बंगाल
15. श्री अजित आर नायर, रक्षा मंत्रालय
16. श्री धनवीर सिंह नेगी, रक्षा मंत्रालय
17. श्री दादाराव गोविंदराव पवार, महाराष्ट्र
18. श्री वाई. पोंगवा, नागालैंड
19. श्री आकाश प्रधान, पश्चिम बंगाल
20. श्री नेल्ली श्रीनिवास राव, आंध्र प्रदेश
21. श्री के. शिमर्सिंगम शिमरय, मणिपुर
22. मास्टर किसेन वानियांग, मेघालय
23. श्री धनेश चन्द यादव, रक्षा मंत्रालय

एस एम समी  
अवर सचिव

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 जून 2025

संकल्प

सं. ई.11011/1/2024- हिंदी-4-डीओआर—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने राजस्व, व्यय एवं निवेश और लोक परिसंपत्ति विभागों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय की संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। समिति की संरचना और कार्य निम्नवत हैं:—

1. माननीय वित्त मंत्री	अध्यक्ष
2. माननीय वित्त राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष

## गैर-सरकारी सदस्य

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित संसद सदस्य

3.	श्री मनोज तिवारी (लोक सभा)	सदस्य
4.	श्री अरुण कुमार सागर (लोक सभा)	सदस्य
5.	श्री रतनजीत प्रताप नारायण सिंह (राज्य सभा)	सदस्य
6.	श्री लहर सिंह सिरोया (राज्य सभा)	सदस्य
संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित संसद सदस्य		
7.	श्री भर्तृहरि महताब (लोक सभा)	सदस्य
8.	श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेन्द्रिवालकर (लोक सभा)	सदस्य
हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद द्वारा नामित सदस्य		
9.	श्री श्रीधर कोने, आंध्र प्रदेश	सदस्य
केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिपद द्वारा नामित सदस्य		
10.	डॉ. वी.के. अग्रवाल, नई दिल्ली	सदस्य
राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य		
11.	डॉ यारलागड्हा लक्ष्मी प्रसाद, आंध्र प्रदेश	सदस्य
12.	डॉ दामोदर खड्से, महाराष्ट्र	सदस्य
13.	डॉ विपिन कुमार, नई दिल्ली	सदस्य
14.	डॉ यतींद्र कुमार कटारिया विद्यालंकार, उत्तर प्रदेश	सदस्य
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य		
15.	डॉ. दयानंद एन. बयार, कर्नाटक	सदस्य
16.	श्री नवीन कुमार प्रजापति, पश्चिम बंगाल	सदस्य
17.	सुश्री अनुप्रिया, हरियाणा	सदस्य
सरकारी सदस्य		
18.	सचिव (राजस्व), वित्त मंत्रालय	सदस्य
19.	सचिव (व्यय), वित्त मंत्रालय	सदस्य
20.	सचिव, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय	सदस्य
21.	भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार एवं सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य
22.	अपर सचिव (राजस्व), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय	सदस्य
23.	अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय	सदस्य
24.	अध्यक्ष, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय	सदस्य
25.	रजिस्ट्रार, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय अधिकरण, पश्चिमी खंड, आर.के.पुरम, नई दिल्ली	सदस्य
26.	रजिस्ट्रार, सम्पहृत संपत्ति अपील अधिकरण, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली	सदस्य
27.	आयुक्त एवं सचिव, सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग, होटल सम्प्राट, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली	सदस्य
28.	महानिदेशक, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना व्यूरो, इंडियन ऑयल भवन, जनपथ, नई दिल्ली	सदस्य
29.	निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, प्रवर्तन भवन, डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम रोड, नई दिल्ली	सदस्य
30.	वित्तीय सलाहकार, वित्त मंत्रालय	सदस्य
31.	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य

32.	भारत के अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (स्टाफ/राजभाषा), 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली	सदस्य
33.	संयुक्त सचिव (राजस्व), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय	सदस्य-सचिव

### समिति के कार्य

समिति का कार्य संविधान, राजभाषा अधिनियम व नियम में निर्धारित सिद्धांतों तथा केंद्रीय हिंदी समिति और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा सरकारी कामकाज के लिए हिंदी के प्रयोग के संबंध में निर्धारित नीतियों और निर्देशों के कार्यान्वयन में राजस्व, व्यय एवं निवेश और लोक परिमंपत्ति विभागों तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय को सलाह देना है।

### समिति का कार्यकाल

समिति का कार्यकाल समिति के गठन की तारीख से निम्नलिखित शर्तों के अधीन तीन वर्ष का होगा:—

- (क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।
- (ख) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक ही इस समिति के सदस्य रहेंगे; और
- (ग) किसी सदस्य द्वारा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र देने अथवा किसी कारणवश रिक्त हुए स्थान पर मनोनीत सदस्य समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए सदस्य होंगे।

### सामान्य

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 02.11.2023 के का.ज्ञा.सं.14013/01/2019-रा.भा. (नीति) के अनुसार समिति की सभी बैठकें नई दिल्ली में ही आयोजित किया जाना अपेक्षित है।

### यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 3 फरवरी, 2006 के का.ज्ञा. सं. II/20034/04/2005-रा.भा. (नीति-2) के अनुसार निम्नलिखित के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता देय होगा:—

- (क) समिति के नामित संसद सदस्यों को “संसद सदस्य (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 1954” के प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाएगा; और
- (ख) समिति के अन्य गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/22034/04/86-रा.भा.ए-2 और व्यय विभाग के दिनांक 14.09.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 19047/1/2016-IV में निहित दिशानिर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता देय होगा।

### आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, मंसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, नीति आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य वेतन एवं लेखाधिकारी, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, केंद्रीय राजस्व लेखा परीक्षा के निदेशक, समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

[फा.सं. ई.11011/1/2024- हिंदी-4-डीओआर]

बालसुब्रमण्यन कृष्णमूर्ति  
संयुक्त सचिव (राजस्व)

### आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 2 जुलाई 2025

### संकल्प

सं. 5(3)-बी(पी.डी.)/2023—आम जानकारी के लिए यह घोषित किया जाता है कि वर्ष 2025-26 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली व्याज दर 1 जुलाई, 2025 से 30 सितंबर, 2025 तक 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) होगी। यह दर 1 जुलाई, 2025 से लागू होगी। संबंधित निधियां निम्नलिखित हैं:—

1. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं)।
2. अंशदायी भविष्य निधि (भारत)।

3. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि।
4. राज्य रेलवे भविष्य निधि।
5. सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं)।
6. भारतीय आयुध विभाग भविष्य निधि।
7. भारतीय आयुध कारखाना कामगार भविष्य निधि।
8. भारतीय नौसेना गोदी कामगार भविष्य निधि।
9. रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि।
10. सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि।

2. आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

व्यासन आर.  
संयुक्त सचिव

शिक्षा मंत्रालय  
(उच्चतर शिक्षा विभाग)  
नई दिल्ली, दिनांक 17 जून 2025

सं. 9-2/2024-यू.3(ए)—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान को सम विश्वविद्यालय संस्थान घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया सोसाइटी (पीएचएफआई सोसाइटी), दिल्ली द्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत पीएचएफआई इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंसेज, किस्मतपुर, हैदराबाद, तेलंगाना के साथ-साथ दिल्ली, शिलांग, भुवनेश्वर और वेंगलुरु में चार घटक इकाइयों को विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा देने के लिए यूजीसी के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया।

3. और जबकि, यूजीसी ने दिनांक 16.02.2024 के अपने पत्र संख्या 41-1/2023 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि आवेदन की जांच यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार इसकी विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई थी। समिति ने पीएचएफआई इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंसेज, किस्मतपुर, हैदराबाद, तेलंगाना को सम विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा देने से पहले कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की। यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर आयोग ने दिनांक 13.02.2024 को हुई अपनी 577वीं बैठक (मद संख्या 2.09) में विचार किया और उसे अनुमोदित किया।

4. और जबकि, यूजीसी की सलाह पर विचार करते हुए, मंत्रालय ने दिनांक 11.03.2024 के पत्र के माध्यम से पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया को पीएचएफआई इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंसेज, किस्मतपुर, हैदराबाद, तेलंगाना को घटक इकाइयों के साथ विशिष्ट श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा देने से पहले 3 वर्ष की अवधि के भीतर कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए आशय पत्र जारी किया।

5. और आगे, जबकि पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने एलओआई की शर्तों को पूरा करने के लिए अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। अनुपालन रिपोर्ट को सत्यापन और सलाह के लिए यूजीसी को भेज दिया गया था। अब, यूजीसी ने दिनांक 10.06.2025 के अपने पत्र संख्या 41-1/2023 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि अनुपालन रिपोर्ट की जांच और सत्यापन एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से किया गया था। समिति ने पीएचएफआई इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंसेज, किस्मतपुर, हैदराबाद, तेलंगाना को केवल वेंगलुरु और भुवनेश्वर में दो घटक इकाइयों के साथ सम विश्वविद्यालय का दर्जा देने की सिफारिश की। समिति ने प्रस्तावित सम विश्वविद्यालय की घटक इकाइयों के रूप में शिलांग और दिल्ली परिसर की सिफारिश नहीं की। समिति की सिफारिशों पर आयोग ने दिनांक 14.05.2025 को हुई अपनी 590वीं बैठक (मद संख्या 2.05) में विचार किया और उसे अनुमोदित किया।

6. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी की सलाह पर, एतद द्वारा पीएचएफआई इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंसेज, किस्मतपुर, हैदराबाद, तेलंगाना को वेंगलुरु और भुवनेश्वर में दो घटक इकाइयों के साथ एक विशिष्ट श्रेणी के तहत एक सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित करता है। उक्त घोषणा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है:—

- i. प्रायोजक निकाय द्वारा दिए गए सभी वचन पत्रों का सम विश्वविद्यालय द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा।
- ii. सभी चल और अचल संपत्तियां या तो सम विश्वविद्यालय या पीएचएफआई सोसायटी के नाम पर होनी चाहिए।

- iii. यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना सम विश्वविद्यालय/या इसके घटक शिक्षण इकाइयों की परिसंपत्ति या धन/राजस्व का कोई अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाएगा।
- iv. पीएचएफआई इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंसेज, किस्मतपुर, हैदराबाद किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो वाणिज्यिक और लाभ कमाने वाली प्रकृति की हो।
- v. पीएचएफआई इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंसेज, किस्मतपुर, हैदराबाद में प्रस्तुत किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों/निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होंगे।
- vi. पीएचएफआई इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंसेज, किस्मतपुर, हैदराबाद अपने पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप बनाएगा।
- vii. पीएचएफआई इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंसेज, किस्मतपुर, हैदराबाद केवल यूजीसी (डिग्रियों का विनिर्देशन) 2014 के अनुसार डिग्री प्रदान करेगा।
- viii. पीएचएफआई इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंसेज, किस्मतपुर, हैदराबाद को समय-समय पर संशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 में निहित प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा वैध प्रत्यायन के लिए सभी पात्र शैक्षणिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों का मूल्यांकन करवाने और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा वैध मान्यता प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे।
- ix. छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन के नवीनीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने आदि के मामले में संबंधित सांविधिक परिषदों के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाएं लागू रहेंगी और पीएचएफआई इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंसेज, किस्मतपुर, हैदराबाद द्वारा उनका पालन किया जाएगा।
- x. पीएचएफआई इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंसेज, किस्मतपुर, हैदराबाद यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार यूजीसी को एमओए प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, जब भी आवश्यक होगा, यह प्रचलित विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने एमओए/नियमों को अद्यतित या संशोधित या परिवर्तित करेगा।
- xi. पीएचएफआई इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंसेज, किस्मतपुर, हैदराबाद यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों के नियमों और विनियमों के अनुसार शुल्क संरचना का पालन करेगा।
- xii. पीएचएफआई इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंसेज, किस्मतपुर, हैदराबाद इस मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा जारी वार्षिक भारतीय रैंकिंग में भाग लेगा।
- xiii. पीएचएफआई इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंसेज, किस्मतपुर, हैदराबाद अनिवार्य रूप से अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी), अपने छात्रों की पहचान बनाएगा और उनके क्रेडिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि क्रेडिट स्कोर एबीसी पोर्टल में दिखाई दे।

आर्मस्ट्रांग पामे  
संयुक्त सचिव

## PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 2025

No. 58 -Press/2025—The President of India is pleased to approve the conferment of the Jeevan Raksha Padak series of awards for the year 2024 on the following persons:—

## SARVOTTAM JEEVAN RAKSHA PADAK

1. Shri Devendra, NHIDCL, M/o Road Transport and Highways
2. Gunner Anis Kumar Gupta (Posthumous), M/o Defence
3. Shri Vaqueel Hasan, NHIDCL, M/o Road Transport and Highways
4. Shri Mohd Irshad, NHIDCL, M/o Road Transport and Highways
5. Shri Jatin Kashyap, NHIDCL, M/o Road Transport and Highways
6. Shri Shorabh Kashyap, NHIDCL, M/o Road Transport and Highways
7. Shri Ankur Kumar, NHIDCL, M/o Road Transport and Highways
8. Shri Monu Kumar, NHIDCL, M/o Road Transport and Highways
9. Dr. Pema Tenzing Lachungpa (Bhutia) (Posthumous), Sikkim
10. Shri Dawa Tshering Lepcha (Posthumous), Sikkim
11. Shri Manesh K M (Posthumous), Kerala
12. Shri Munna, NHIDCL, M/o Transport and Highways
13. Shri Naseem, NHIDCL, M/o Road Transport and Highways
14. Shri Nasruddin, NHIDCL, M/o Road Transport and Highways
15. Shri Firoz Qureshi, NHIDCL, M/o Road Transport and Highways
16. Shri Mohd Rashid, NHIDCL, M/o Road Transport and Highways
17. Shri Pintu Kumar Sahni (Posthumous), Bihar

## UTTAM JEEVAN RAKSHA PADAK

1. Shri Riteek Chauhan, Himachal Pradesh
2. Shri Shashikant Ramkrushna Gajbe, Maharashtra
3. Shri Rajesh Ranjan Kujur (Posthumous), M/o Defence
4. Shri Pradeep Kumar, National Disaster Response Force
5. Shri Sachin Kumar, National Disaster Response Force
6. Shri Leki Passang, M/o Defence
7. Shri Rakesh Singh Rana, M/o Defence
8. Shri Manmohan Singh, National Disaster Response Force
9. Shri Shankar Singh, Border Roads Organisation

## JEEVAN RAKSHA PADAK

1. Shri C. Anbarasan, Puducherry
2. Shri Kishor Kumar Arney, Madhya Pradesh
3. Dr. Ranjana Bhandari, Odisha
4. Shri Dnyaneshwar Mukund Bhedodkar, Maharashtra
5. Ms. Pallabi Biswas, M/o Railways (RPF)
6. Master Elambok Dkhar, Meghalaya
7. Kumari Diya Fathima, Kerala
8. Sergeant Ram Kumar Jaiswal, M/o Defence
9. Shri Muhammad Hashir Nadakasseri Kadakkoda, Kerala
10. Shri Bandakindi Shravan Kumar, Telangana

11. Shri Vikash Kumar, Bihar
12. Shri Laltlitzova, Mizoram
13. Sushri Manishaben Amarashibhai Malkiya, Gujarat
14. Shri Kali Kinkar Manna, West Bengal
15. Shri Ajith R Nair, M/o Defence
16. Shri Dhanbeer Singh Negi, M/o Defence
17. Shri Dadarao Govindrao Pawar, Maharashtra
18. Shri Y. Pongba, Nagaland
19. Shri Akash Pradhan, West Bengal
20. Shri Nelli Srinivasa Rao, Andhra Pradesh
21. Shri K. Shimreingam Shimray, Manipur
22. Master Kisen Wanniang, Meghalaya
23. Shri Dhanesh Chand Yadav, M/o Defence

S. M. SAMI  
Under Secretary

MINISTRY OF FINANCE  
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 27th June 2025

RESOLUTION

No. E-11011/1/2024- Hindi-4-DOR—The Government of India, Ministry of Finance has decided to reconstitute the Joint Hindi Sahakar Samiti of the Department of Revenue, Department of Expenditure, Department of Investment and Public Asset Management & Office of the Comptroller and Auditor General of India with the following composition and functions:—

1. Honourable Finance Minister	Chairman
2. Honourable Minister of State for Finance	Vice-Chairman

Non-Official Members

Members of Parliament nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs

3. Shri Manoj Tiwari (Lok Sabha)	Member
4. Shri Arun Kumar Sagar (Lok Sabha)	Member
5. Shri Ratanjit Pratap Narain Singh (Rajya Sabha)	Member
6. Shri Lahar Singh Siroya (Rajya Sabha)	Member

Members of Parliament nominated by Committee of Parliament on Official Language

7. Shri Bhartruhari Mahtab (Lok Sabha)	Member
8. Shri Omprakash Bhupalsingh Alias Pawan Rajenimbalkar (Lok Sabha)	Member

Member nominated by Hindi Prachar Sabha, Hyderabad

9. Shri Sridhar Koney, Andhra Pradesh	Member
---------------------------------------	--------

Member nominated by Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad

10. Dr. V.K. Agarwal, New Delhi	Member
---------------------------------	--------

Members nominated by the Department of Revenue, Ministry of Finance

11. Dr. Yarlagadda Lakshmi Prasad, Andhra Pradesh	Member
12. Dr. Damodar Khadse, Maharashtra	Member
13. Dr. Bipin Kumar, New Delhi	Member
14. Dr. Yateendra Kumar Kataria Vidyalankar, Uttar Pradesh	Member

Members nominated by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs

15. Dr. Dayananda N Bayar, Karnataka	Member
16. Shri Navin Kumar Prajapati, West Bengal	Member
17. Ms. Anupriya, Haryana	Member
Official Members	
18. Secretary (Revenue), Ministry of Finance	Member
19. Secretary (Expenditure), Ministry of Finance	Member
20. Secretary, Department of Investment and Public Asset Management, Ministry of Finance	Member
21. Hindi Adviser to the Government of India & Secretary, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs	Member
22. Additional Secretary (Revenue), Department of Revenue, Ministry of Finance,	Member
23. Chairman, Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance	Member
24. Chairman, Central Board of Indirect Taxes & Customs, Department of Revenue, Ministry of Finance, New Delhi	Member
25. Registrar, Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal, Western Block, R.K. Puram, New Delhi	Member
26. Registrar, Appellate Tribunal for Forfeited Properties, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi	Member
27. Commissioner and Secretary, Customs and Central Excise Tax Settlement Commission, Hotel Samrat, Chanakyapuri, New Delhi	Member
28. Director General, Central Economic Intelligence Bureau, Indian Oil Building, Janpath, New Delhi	Member
29. Director, Enforcement Directorate, Enforcement Building, Dr.A.P.J.Abdul Kalam Road, New Delhi	Member
30. Financial Advisor, Ministry of Finance	Member
31. Joint Secretary, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs	Member
32. Additional Deputy Comptroller & Auditor General (Staff/Official Language) of India, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi	Member
33. Joint Secretary (Revenue), Department of Revenue, Ministry of Finance,	Secretary Member

#### FUNCTIONS OF THE COMMITTEE

The functions of the Committee are to render advice to the Departments of Revenue, Expenditure and Investment and Public Asset Management & Office of the Comptroller and Auditor General of India of the Ministry of Finance on matters relating to progressive use of Hindi for Official purposes in accordance with the guidelines contained in the Constitution, Official Language Acts and Rules and policy decisions of the Kendriya Hindi Samiti and instructions issued by the Department of Official Language.

#### TENURE OF THE COMMITTEE

The term of Committee will be three years from the date of its formation provided that:

- (i) A Member of Parliament nominated to the Committee shall cease to be its member as soon as he ceases to be a Member of Parliament;
- (ii) The ex-officio members of the committee shall continue to be members so long as they hold the posts on which they have become member of the committee; and
- (iii) A person appointed for the vacant post during the tenure of Committee will be a member only for the remaining tenure of three years.

#### GENERAL

The Headquarters of the committee shall be at New and as per Department of Official Language O.M. No.14013/01/2019-OL (Policy) dated 02.11.2023, all the meetings of the Committee are required to be organized in New Delhi only.

## ALLOWANCES

The Non-official members of the committee will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of the committee in terms of the provisions contained in the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Office Memorandum No. II/20034/04/2005-OL(Policy-2) dated 3rd February, 2006 in the following manner:

- (i) The Members of Parliament nominated in the Committee will be paid travelling allowances as per the provision in the “Members of Parliament (Salary, Allowances and Pension) Act, 1954”, as amended from time to time and rules framed thereunder, and
- (ii) Travelling allowances and daily allowances to other non-official members of the Committee will be paid as per the guidelines contained in the Department of Official Language O.M. No. II/22034/04/86-OL(A-2) dated 22nd January, 1987 and O.M. No.19047/1/2016-IV dated 14.09.2017 of Department of Expenditure and in accordance with the rates and rules prescribed from time to time by the Government of India.

## ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, NITI Aayog, UPSC, Chief Pay and Accounts Officer, Comptroller and Auditor General of India, Director of Audit Central Revenue, all the Members of the Committee, All State Governments and Union Territory Administrations and all Ministries and Departments of the Government of India.

It is also ordered that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

F. No. E-11011/1/2024- Hindi-4-DOR

BALASUBRAMANIAN KRISHNAMURTHY  
Joint Secretary (Revenue)

## DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 2nd July 2025

## RESOLUTION

No. 5(3)-B(PD)/2023—It is announced for general information that during the year 2025-26, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 7.1% (Seven point one percent) w.e.f. 1<sup>st</sup> July, 2025 to 30<sup>th</sup> September, 2025. This rate will be in force w.e.f. 1 July, 2025. The funds concerned are:—

1. The General Provident Fund (Central Services).
2. The Contributory Provident Fund (India).
3. The All India Services Provident Fund.
4. The State Railway Provident Fund.
5. The General Provident Fund (Defence Services).
6. The Indian Ordnance Department Provident Fund.
7. The Indian Ordnance Factories Workmen's Provident Fund.
8. The Indian Naval Dockyard Workmen's Provident Fund.
9. The Defence Services Officers Provident Fund.
10. The Armed Forces Personnel Provident Fund.

2. Ordered that the Resolution be published in Gazette of India.

VYASAN R.  
Joint Secretary

MINISTRY OF EDUCATION  
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 17th June 2025

No. 9-2/2024-U.3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. And whereas, an online application was submitted by Public Health Foundation of India Society (PHFI Society), Delhi on the UGC's Portal for grant of Institution deemed to be University status under distinct category to PHFI Institute of Public Health Sciences, Kismatpur, Hyderabad, Telangana along with four constituent units at Delhi, Shillong, Bhubaneswar & Bengaluru under Section 3 of the UGC Act, 1956.

3. And whereas, UGC, vide its letter no. 41-1/2023 (CPP-I/DU) dated 16.02.2024, informed that the application was examined through its Expert committee in accordance with the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023. The Committee recommended for issuance of letter of Intent (LoI) for fulfilment of certain conditions before granting of Institution deemed to be University status to PHFI Institute of Public Health Sciences, Kismatpur, Hyderabad, Telangana. The recommendation of UGC Expert Committee was considered and approved by the Commission in its 577th meeting (Item No. 2.09) held on 13.02.2024.

4. And whereas, considering the advice of UGC, the Ministry, vide letter dated 11.03.2024, issued Letter of Intent to Public Health Foundation of India for fulfilment of the certain conditions within a period of 3 years before conferment of Institution Deemed to be University status under distinct category to PHFI Institute of Public Health Sciences, Kismatpur, Hyderabad, Telangana along with constituent units.

5. And further whereas, the Public Health Foundation of India submitted compliance report for fulfilment of the conditions of the LoI. The compliance report was forwarded to UGC for its verification and advice. Now, UGC vide its letter No. 41-1/2023(CPP-I/DU) dated 10.06.2025, informed that the compliance report was examined and verified through an Expert Committee. The Committee recommended for grant of Institution deemed to be University status to PHFI Institute of Public Health Sciences, Kismatpur, Hyderabad, Telangana along with two constituent units at Bengaluru and Bhubaneswar only. The Committee did not recommend Shillong and Delhi Campus as constituent units of the proposed deemed to be University. The recommendations of the Committee was considered and approved by the Commission in its 590th meeting (Item No. 2.05) held on 14.05.2025.

6. Now, therefore, in exercise of powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of the UGC, hereby declares PHFI Institute of Public Health Sciences, Kismatpur, Hyderabad, Telangana along with two constituent units at Bengaluru and Bhubaneswar as an Institution deemed to be University under distinct category. The said declaration is subject to the following conditions:

- i. All the undertakings given by the sponsoring body shall be strictly followed by the deemed to be University.
- ii. All the moveable and immoveable assets should be either in the name of the deemed to be University or PHFI Society.
- iii. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution deemed to be University/or of its constituent teaching units, without prior permission of the UGC and Ministry of Education.
- iv. PHFI Institute of Public Health Sciences, Kismatpur, Hyderabad shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.
- v. The academic programmes to be offered at PHFI Institute of Public Health Sciences, Kismatpur, Hyderabad shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and the Statutory Councils/Bodies concerned.
- vi. PHFI Institute of Public Health Sciences, Kismatpur, Hyderabad shall align its courses with National Education Policy-2020.
- vii. PHFI Institute of Public Health Sciences, Kismatpur, Hyderabad shall provide degrees only in accordance with the UGC (Specification of Degrees) 2014.
- viii. PHFI Institute of Public Health Sciences, Kismatpur, Hyderabad shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes rated for valid accreditation by National Board of Accreditation (NBA) and the Institute to get valid accreditation by National Assessment and Accreditation Council (NAAC), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.
- ix. All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by PHFI Institute of Public Health Sciences, Kismatpur, Hyderabad.

- x. PHFI Institute of Public Health Sciences, Kismatpur, Hyderabad shall submit MoA in accordance with UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023 to UGC. Further, as and when necessary, it shall update or revise or modify its MoA / Rules, as per the provisions of the prevailing Regulations.
- xi. PHFI Institute of Public Health Sciences, Kismatpur, Hyderabad shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC and relevant Statutory Councils.
- xii. PHFI Institute of Public Health Sciences, Kismatpur, Hyderabad shall participate in annual Indian rankings issued by National Institutional Ranking Framework (NIRF) of this Ministry.
- xiii. PHFI Institute of Public Health Sciences, Kismatpur, Hyderabad shall compulsorily create Academic Bank of Credits (ABC), identities of their students and upload their credit score in digital lockers and ensure that the credit scores are reflected in ABC Portal and adopt Samarth e-Gov.

ARMSTRONG PAME  
Joint Secretary